र. झु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू

प्रकरण सं0 :– 06/2021

किस्म मुकदमा:– अं0 धारा 251 रा.का. अ.1955

पीठासीन अधिकारी – महेन्द्र सिंह मूण्ड (आर.टी.एस.)

1. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार नवलगढ।

बनाम

1. सुरेश पुत्र मोती जाति गुसाई निवासी गुसाई की ढाणी पंचाचत कारी।
2. जगदिश पुत्र मोती जाति गुसाई सा.देह खातेदार।
3. बजरंग पुत्र मोती जाति गुसाई सा.देह खातेदार।
4. भंवरी पत्नी मोती जाति गुसाई सा.देह खातेदार।
5. संजू पुत्री मोती जाति गुसाई सा.देह खातेदार।
6. हरलाल पुत्र उदा जाति मेघवंशी सा.देह खातेदारी।
7. पतासी देवी पत्नी स्व फूलचन्द मेघवंशी सा.देह खातेदारी।
8. प्रभाती पुत्री फूलचन्द जाति मेंघवशी मेघवंशी सा.देह खातेदारी।
9. रामस्वरूप पुत्र फूलचन्द जाति मेंघवशी मेघवंशी सा.देह खातेदारी।
10. लालचन्द पुत्र फूलचन्द जाति मेंघवशी मेघवंशी सा.देह खातेदारी।
11. शारदा पुत्री फूलचन्द जाति मेंघवशी मेघवंशी सा.देह खातेदारी।
12. सोहनलाल पुत्र फूलचन्द जाति मेंघवशी मेघवंशी सा.देह खातेदारी।

निर्णय दिनांक 06.12.2021

किस्म मुकदमा:– अं0 धारा 251 रा.का. अ.1955

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में पत्रावली का विवरण इस प्रकार हैं कि ग्रामवासी कारी, गुसाईयों की ढाणी व ढाका का बास पंचायत समिति नवलगढ द्वारा प्राप्त प्रार्थना में अंकित ग्राम ढाका का बास से गुसाइयों की ढाणी जाने वाले रास्ते को ख.न. 2074/33, 2075/33, 1947/29 व 1946/29 में उक्त खातेदारों न रास्ता बन्द कर दिया है जिसके संबंध में पटवारी हल्का कारी द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई जिसने अवगत करवाया है कि उक्त रास्ता दो राजस्व ग्रामों को जोड़ता था व ढाका का बास की तरफ ग्रेवल सड़क बनी हुई है लेकिन उक्त खातेदारों द्वारा वर्तमान में इस रास्ते को बन्द कर दिया गया है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा लट्ठा में अंकित नही है लेकिन दो राजस्व ग्रामों को जोड़ने वाला प्रचलन का रास्ता है। अतः प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में दर्ज रजिस्टर होकर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। पक्षकारों को जारी नोटिस तामिल कुलिन्दा से प्राप्त कर पत्रावली में शामिल किया गया। अप्रार्थीगण एक लगायत तीन व अप्रार्थी क.स. 10 की ओर से अभिभाषक राजीव सिंह शेखावत, विकास सैनी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया शेष पक्षकार अनुपस्थित रहे ।

अभिभाषकगण नियत दिनांक को उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र इस आश्य से पेश किया कि उक्त प्रकरण में विवादित भूमि ख.न. 1946/29, 2075/33 एवं अन्य ख.न.

Scanned with CamScanner

एक दावा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी हरलाल बनाम श्रीचन्द वगैरह मु.न. /2021 मा. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक, नवलगढ के यहा विचाराधीन है जिसमें मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारीत किये है आदेश की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 90/2021 में श्रीमान स्वयं भी पक्षकार है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.12.2021 को नियत है। अप्रार्थि अधिवक्ता द्वारा नियत दिनांक को एक प्रार्थना अं. धारा 251 रा.का.अ. 1951 पेश किया जिसको बाद सत्यापन पत्रावली में शामिल किया गया ।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन किया गया जिसमें उक्त रास्ता प्रचलित है एवं दो राजस्व ग्रामों को जाड़ने वाला रास्ता है जिसको प्रतिवादी द्वारा तारबन्दी कर बन्द कर दिया गया है जिससे दोनों राजस्व ग्रामों के निवासियों का आवागमन बाधित हो गया है जिसके संबंध में प्रतिवादियों को सुनवाई का बार – बार अवसर दिये जाने के पश्चात भी जबाब पेश नही किया गया है एवं मा. न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक, नवलगढ द्वारा उक्त विवादित ख.न. में स्थगन आदेश जारी किया है उसमें मा. न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट आदेश दिया है कि किसी भी न्यायालय के किसी भी आदेश की पालना में बाधक नहीं होगा एवं अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अं. धारा 251 रा.का.अ. 1951 पेश किया है जबकि राजस्थान काश्तकारी कानून मा. राष्ट्रपति द्वारा 14 मार्च, 1955 को स्वीकृत किया जाने के कारण प्रार्थना पत्र पर कोई विचार की आवश्यकता अथवा न्यायालय की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नही पड़ता है। अतः पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में नजरी नक्शा में दर्शाया गया प्रचलित रास्ता को प्रचलित रास्ते के रूप में खोले जाने के आदेश दिये जाकर भू.अ. निरीक्षक जाखल एवं पटवारी हल्का कारी को उक्त रास्ता खोले जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

महेन्द्र सिंह मूण्ड (आर.जे.एस.)
तहसीलदार नवलगढ